

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-236 / ix-1 / 64(2013) / 2014
देहरादून: दिनांक 25 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-3 में निहित प्राविधान के अनुसार मै0 त्रिलोक सिक्योरिटी सिस्टम इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा चारधाम यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत निःशुल्क बायोमेट्रिक्स पंजीकरण हेतु उपयोग किये जाने वाले महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस के 10 वाहनों को दिनांक 01-04-2014 से 05 वर्ष की अवधि हेतु एक बार के लिए कर में छूट प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या-236 (1) / ix-1 / 64(2013) / 2014 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 3- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की जनपद हरिद्वार को उत्तराखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं तत्सम्बन्धी प्रति शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
- 4- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश/रूद्रप्रयाग/कर्णप्रयाग/कोटद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, मै0 त्रिलोक सिक्योरिटी सिस्टम इण्डिया प्रा0लि0, एस0जी0एस0 आश्रम, 88-हरिद्वार रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।

25/4/14

25/4/14

आज्ञा से,
(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर सचिव।